प्रारुप–2

भाग– : जेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

1.

क) अपेक्षित वन भूमि के लि रियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण– राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़ वेकास खण्ड भिलंगना में मैगाधार – आली – सरुणा मोटर मार्ग का चौरा करखेडी,कोट,घणातगांव हुए चांजी तक विस्तारीकरण कार्य का स्टील गर्डर सेतु सहित नव निर्माण कार्य के निर्माण हेतु शासनादेष संख्या– 6667/III (2) /13–32(प्रा0आ0)/2013 दिनांक– 22.11.2013 द्वारा को (लम्बाई– 10.450 कि0मी0+ 2 न0 सेतु) हेतु लागत 64.49 लाख की प्रसाषकीय/वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई है। मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण के प्रस्ताव गठित किया गया है।

ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस–पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप। संलग्न

ग) परियोजना की लागत। 64.49 लाख

घ) वन क्षेत्र मे परियोजना स्थापित करने का औचित्य। अन्य काई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नही है।

ड.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए) आवष्यकता नही है।

च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।क्षेत्र मे अस्थाई रूप से क्षेत्रवासियो को रोजगार मिलेगा एंव क्षेत्र मे उपज का मूल्य बाजार दर पर मिलेगा तथा क्षेत्र मे यातायात का लाभ मिलेगा।

2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरणः

1. आरक्षित वन भूमिः– 0.770 है0
2. सिविल सोयम भूमि :– 3.640 है0
3. वन पंचायत भूमि :– शून्य

कुल भूमि – 4.410 हेक्टेयर

3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है

क) परिवारों की संख्या –शून्य

ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या –शून्य

ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए) –शून्य

4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ? – हां

5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके – क्षतिपूरक वनीकरण स्कीम सलग्न है। एंव पुनः वनीकरण की वचनबद्वता सलग्न है।
अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ–साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनवद्धता (वचनवद्धता संलग्न की जाये)

6. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण निर्देशानुसार प्रमाण पत्र संलग्न है। पत्रों/दस्तावेजों का व्यौरा।

दिनांक 02/05/17
स्थान घनसाली

प्रयोक्ता एजेन्सी